प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात **दिनांक- 21.08.2026**

थाना शिवली पुलिस द्वारा 02 टप्पेबाजों को 10,000/- रुपये नगद व 01 नकली अंगूठी (पीली धातु) के साथ किया गया गिरफ्तार ।

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात में आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व खुलासे हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, दिनांक 18.08.2026 श्री हनीफ मोहम्मद पुत्र सहाबुद्दीन निवासी बैरी सवाई थाना शिवली जनपद कानपुर देहात के साथ प्रेमशंकर पुत्र मुशीलाल निवासी ग्राम गुलजारी पुरवा मजरा कुढ़वा थाना शिवली जनपद कानपुर देहात व योगेन्द्र तिवारी पुत्र कमलेश तिवारी निवासी बिधूना थाना बिधूना जनपद औरैया द्वारा भैंस खरीदने के लिये पैसे कम पड़ जाने के एवज में असली सोने की अगूंठी बताकर नकली सोने की अंगूठी देकर 15,000/- रुपये लेकर ठगी कर ली गयी एवं पुनः दिनांक 20.08.2026 को शाम करीब 16.00 बजे इसी प्रकार की घटना बताकर नकली अंगूठी देने के लिये श्री हनीफ मोहम्मद के घर पर पहुँचे जिस पर स्थानीय लोगों द्वारा दोनों टप्पेबाजों प्रेमशंकर पुत्र मुशीलाल उपरोक्त व योगेन्द्र तिवारी पुत्र कमलेश तिवारी उपरोक्त को मौके पर ही पकड़कर थाना लाकर दाखिल किया गया एवं दिनांक 20.08.2026 को वादी श्री हनीफ मोहम्मद पुत्र सहाबुद्दीन निवासी बैरी सवाई थाना शिवली कानपुर देहात द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना शिवली पर मु0अ0सं0 290/2026 धारा 318(4) बीएनएस बनाम प्रेमशंकर व योगेन्द्र तिवारी उपरोक्त पंजीकृत किया गया । वादी मुकदमा द्वारा टप्पेबाजों द्वारा दी गयी नकल अंगूठी उपलब्ध करायी गयी एवं पकड़े गये दोनों अभियुक्तों की तलाशी से 10,000/- रुपये व 01 नकली अंगूठी बरामद हुयी। अभियुक्तगण के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण का विवरण–

1. प्रेमशंकर पुत्र मुशीलाल निवासी ग्राम गुलजारी पुरवा मजरा कुढ़वा थाना शिवली जनपद कानपुर देहात उम्र 50 वर्ष
2. योगेन्द्र तिवारी पुत्र कमलेश तिवारी निवासी बिधूना थाना बिधूना जनपद औरैया उम्र 31 वर्ष

पूछताछ का विवरण- अभियुक्तगण ने पूछताछ में बताया कि वे लोगों को अपनी मजबूरी बताकर और असली सोना बताकर कम पैसों में नकली सोने के आभूषण गिरवी रख देते थे और पैसे लेकर चले जाते थे। दिनांक 18.08.2026 को वे बैरी सवाई गए थे, जहाँ उन्होंने हनीफ मोहम्मद से कहा कि उन्हें भैंस खरीदने के लिए पैसे कम पड़ रहे हैं। उन्होंने असली सोने की अंगूठी बताकर नकली सोने की अंगूठी दे दी और ₹15,000 ठग लिए। इसके बाद उन्होंने सोचा कि उससे और पैसे ठगे जा सकते हैं, इसलिए वे पुनः दिनांक 20.08.2026 को उसके घर पहुँचे, जहाँ मौजूद स्थानीय लोगों ने उन्हें पकड़ लिया।

बरामदगी का विवरण-

1. 02 नकली अंगूठी पीली धातु (जिसमें 01 वादी मुकदमा द्वारा उपलब्ध करायी गयी व 01 टप्पेबाजों की जामा तलाशी से)

2. 10,000 रुपये/- नगद

अभियुक्त प्रेमशंकर का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 290/2026 धारा 318(4) बीएनएस थाना शिवली जनपद कानपुर देहात

अभियुक्त योगेन्द्र तिवारी का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 290/2026 धारा 318(4) बीएनएस थाना शिवली जनपद कानपुर देहात
2. मु0अ0सं0 169/2023 धारा 323/325/452/504/506 भा0द0वि0 थाना बिधूना जनपद औरैया
3. मु0अ0सं0 428/2025 धारा 115(2)/351(2)/352/333 बीएनएस धारा 3(1)(घ)/3(1)(द)/3(2)(5)ए एससीएसटी एक्ट थाना बिधूना जनपद औरैया
4. मु0अ0सं0 428/2025 धारा 126(2)/351(3)/351(4)/352 बीएनएस थाना बिधूना जनपद औरैया
5. मु0अ0सं0 89/2025 धारा 406/420/506 भा0द0वि0 थाना फफूंद जनपद औरैया

गिरफ्तार करने वाली थाना शिवली पुलिस टीम –

1. प्र0नि0 श्री अमरेन्द्र बहादुर सिंह
2. उ0नि0 श्री योगेन्द्र कुमार शर्मा
3. का0 578 धीरेन्द्र सिंह